धारा 6–ए प्रकरण सं0 105/2016 राज0 राज्य बजरिये दीनदयाल वर्मा, बीज निरीक्षक, सहायक निदेशक कृषि (पौध सरंक्षण) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर बनाम 1–मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर 2–श्री प्रवीणकुमार पुत्र श्री दीनदयाल पार्टनर मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21–02–2018

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री हरबंस सिंह, कृषि अधिकारी उपस्थित है। अप्रार्थी के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा फहरिस्त सूचि के साथ मैसर्स सिंगला सीडस द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या 1667 जो कि दुकान संख्या 80बी पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर स्थित में बीज व्यवसाय करने से संबंधित है में ग्राम चक 7 जैड के प्लाट सं0 22 व 23 एवं 24 दर्ज करवाने के संबंध में प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 14.12.2016 आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की गई। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में दिनांक 29.01.18 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस मामले में अप्रार्थीगण के कब्जे से फर्द मौका जब्ती अनुसार दिनांक **13.12.2016** व **14.12.2016** को जांच कर अप्रार्थीगण के कब्जे से सीज शुद्धा प्रमाणित **जौ बीज जो कि मूल पैकिंग के 914 खाली बैग, बैगस से हटाये गये 350 टैग, 349 लेबल** एवं **जौ (जो कि टैग व लेबल हटाकर जूट की बोरियों में भरा हुआ था) वजन 231.78225 क्वि. (551 बोरी जूट) व प्रमाणित BARLEY (जौ) बीज किस्म BH-902 की मूल पैकिंग 187BagsX30Kg each कुल वजन 56.10 क्विन्टल सीलबन्द टैग व लेबल सहित** जो कि **चक 7 जैड,** रेल्वे लाईन के पास, श्रीगंगानगर में **अनाधिकृत गोदाम** में अवैद्य रूप से भण्डारित कर कृषको को विक्रय किया जा रहा था को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।

विभागीय प्रतिनिधि श्री हरबंस सिंह, कृषि अधिकारी का कथन था कि अप्रार्थीगण मैसर्स सिंगला सीडस के पास बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के तहत बीजो के विक्रय, आयात, निर्यात के संबंध में **अनुज्ञापत्र संख्या 1667** है, जो कि दिनांक 13.03.17 तक नवीनीकृत है और इस अनुज्ञापत्र में कार्य स्थल दुकान न0 80 बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर दर्ज है।

उनका आगे कथन था कि दिनांक **13–12–2016** को **श्री दीनदयाल वर्मा,** सहायक निदेशक, कृषि (पौध) द्वारा मैसर्स सिंगला सीडस, श्रीगंगानगर के चक 7 जैड में रेल्वे लाईन के पास स्थित अनाधिकृत गोदाम पर पहुंच कर जांच की गई थी लेकिन उस दिन कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण उनके द्वारा पीतल की मुद्रा से लाख चपड़ी लगाकर गेट पर सील लगा दी गई थी। दिनांक **14.12.2016** को **पुनः श्री दीनदयाल वर्मा,** बीज निरीक्षक द्वारा अपने सहायको के साथ मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर के अनाधिकृत गोदाम स्थल रेल्वे लाईन के पास ग्राम 7 जैड के गोदाम पर पहुंच कर गोदाम मालिक श्री प्रवीण कुमार व अन्य स्वतन्त्र गवाह अनिल कुमार, बनवारीलाल व सहायक अधिकारीगण की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया तो पाया कि गोदाम में प्रमाणित जौ बीज

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

की मूल पैकिंग के 914 खाली बैग, बैगस से हटाये गये 350 टैग, 349 लेबल एवं **जौ (जो कि टैग व लेबल हटाकर जूट की बोरियों में भरा हुआ था) वजन 231.78225 क्वि. (551 बोरी जूट)** व प्रमाणित **BARLEY (जौ) बीज किस्म BH-902 की मूल पैकिंग 187BagsX30Kg each कुल वजन 56.10 क्विन्टल** सीलबन्द टैग व लेबल लगे हुए मौके पर मिले। समस्त साक्ष्यों व परिस्थितियों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने अनाधिकृत गोदाम में प्रमाणित जौ बीज जो कि **National Seeds Corp. Ltd. Beej Bhawan, Pusa Complex New Delhi 110012** द्वारा उत्पादित था व कृषको को विक्रय करने हेतु तैयार किया गया था की मूल पैकिंग टेग व लेबल लगाकर सीलबन्द की गई थी **में से निकालकर जूट की बोरियों में भरकर बाजार में विक्रय किया जा रहा था जिसके लिए विभाग से किसी प्रकार की कोई स्वीकृत्ति नही ली गई है जो कि बीज नियम 1968 की धारा 13(2) की स्पष्ट उल्लंघना है।**

उनका आगे कथन था कि चक 7 जैड के उक्त अनाधिकृत गोदाम का इन्द्राज विभाग द्वारा जारी **बीज अनुज्ञापत्र संख्या 1667 में भी नही है** और न ही इस स्थान पर कारोबार करने के लिए **कोई अलग से कोई अन्य अनुज्ञापत्र है** जो कि **बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) की उल्लंघना है।**

उनका आगे कथन था कि दिनांक 13.12.2016 को श्री दीनदयाल वर्मा द्वारा चक 7 जैड के उक्त अनाधिकृत गोदाम से जब्त शुदा **BARLEY (जौ) बीज किस्म BH-902 LOT. APR-16-20-206-183 उत्पादक National Seeds Corp. Ltd. Beej Bhawan, Pusa Complex New Delhi 110012** मात्रा 56.10 क्विन्टल (**187 BagsX30Kg each**) के मूल पैकिग जो पूर्णतया सील बंद व टैग लगी हुई थी की गुणवता की जांच करवाने के उदेश्य से एक बीज नमूना, बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट सं0 5356–58 दिनांक 10.02.17 के अनुसार जो सीड टेस्टिंग लेबोरेट्री दुर्गापुरा, जयुपर की है के अनुसार उक्त **जब्त शुदा बीज अमानक पाये गये है और जो जौ बीज टैग हटाकर जूट की बोरियों में भरकर विक्रय किया जा रहा है के सैम्पल नही लिये गये थे और न ही उनके सैम्पल लेने की आवश्यकता थी क्योंकि कोई भी बीज मूल सील तोड़कर व टैग हटाकर विक्रय करना** बीज नियम 1968 के नियम धारा 13(2) की अवहेलना है।

उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त ग्राम चक 7 जेड के अनाधिकृत गोदाम स्थल पर बीजो का व्यापार करने के लिए दिनांक **13.12.2016** को कार्यवाही करने तक बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के तहत अनुज्ञापत्र के लिए **कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया था** केवल दिनांक **14.12.16** को उक्त कार्यवाही की जानकारी होने पर **आफटर थोट** एक प्रा0 पत्र दिया गया है जिसकी **फीस 15.12.2016 को चालान** द्वारा जमा करवाई गई है जिससे उसका प्रा0 पत्र दिनांक **15.12.2016** को ही प्रस्तुत करना माना जा सकता है **जिसका उसे कानूनन कोई लाभ नही मिल सकता।**

उनका आगे कथन था कि उक्तानुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण फर्म ग्राम चक 7 जैड के उक्त अनाधिकृत गोदाम में बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के

ज्ञा.मी.
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अमानक बीजों के अवैद्य कारोबार में लिप्त है। इस प्रकार फर्म का उक्त कृत्यु जो कि बीज नियम 1968 के नियम 13(2) व बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) की उल्लंघना है। इस प्रकार फर्म के मालिक श्री प्रवीण कुमार से उक्त अनाधिकृत स्थल ग्राम चक 7 जैड रेल्वे लाईन के पास से जब्त किये गये **प्रमाणित BARLEY (जौ) बीज किस्म BH-902 187 BagsX30Kg each कुल वजन 56.10 क्विन्टल व जौ (जूट की बोरियों में भरा हुआ) वजन 231.78225 क्विन्टल (551 बोरी जूट)** को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत ने लिखित जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन था कि मैसर्स सिंगला सीडस, कृषि विभाग से बीज की अनुज्ञाधारी एजेन्सी है और फर्म का कार्य स्थल 80बी पुरानी धानमण्डी है। फर्म का अनुज्ञापत्र 13.03.17 तक नवीनीकृत है। उनका आगे कथन था कि दिनांक **14.12.16** को जो 510.10 क्वि0 जौ का बीज को सील बंद टेग व लेबल की हालत में एवं 231.78225 क्वि0 जौ के बीज किस्म बीएच 902 को इस आधार पर सीज किया गया था कि अप्रार्थी फर्म के अनुज्ञापत्र में गांव 7 जैड का गोदाम प्रविष्ट नही है जौर 231.78225 क्वि0 (551 बोरी जूट) को मूल पेकिंग में से खाली करके जूट की बोरियों में भरा गया होने के कारण सीज किया गया। मूल पेकिंग में से जौ के बीज को खाली करके जूट की बोरियों में भरे जाने वाले बीज का कृषि अधिकारियों के द्वारा जांच के लिए नमूना भी लिया गया था, जो सही पाया गया। इस प्रकार फर्म द्वारा बीज अधिनियम 1968 के तहत कोई अवहेलना नहीं की गई है।

उनका आगे यह भी कथन था कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन से काफी मात्रा में जौ का बीज प्राप्त होने के कारण, भण्डार व्यवस्था न होने के कारण व्यापार स्थल 80–बी पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर में पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण चक 7 जैड के उक्त गौदाम में संगृहित किया जाकर कृषि विभाग को इस स्थान को प्रार्थी के लाईसैंस में गोदाम के रूप में दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया गया था एवं **सीलबंद जौ के बीज** को थैलों से निकालकर जूट की बोरियों मे इस कारण भरा गया था, क्योंकि उस क्षेत्र में जौ की बुवाई का समय 15 दिसम्बर तक है तत्समय नोटबंदी एवं नहर बंदी के कारण जौं के बीज का किसानों में विक्रय शून्य रहा था। जौ कि बुवाई का समय निकलने के पश्चात नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, जो कि सरकारी उपक्रम है, उसे इस सम्बन्ध में अवगत करवा दिया था एवं फर्म पर भण्डारित जौ का बीज जो लगभग अमानिक हो चुका था, उसको सीलबंद हालत में किसानों को विक्रय किया जाना सम्भव नहीं था, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रार्थी फर्म के साथ नेशनल सीड्स कॉर्पोरशन के विरूद्ध भी शिकायत कर सकते थे और अमानक बीज को भी बेचने की किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि गोदाम का दर्ज नहीं होना एक मानवीय त्रुटि कहा जा सकता है जो गंभीर उल्लघंना की श्रेणी में नहीं आता है। निरीक्षण के समय सभी अभिलेख का सही होना एवं बीज का अवैध प्रकार से विक्रय नहीं होना जांच से स्पष्ट है। उनके द्वारा किसी भी प्रकार से बीज

सा/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नियम 1968 एवं बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के किसी भी प्रावधान की कोई उल्लंघना नहीं की है और न ही उनकी किसी प्रकार से कोई बदनियती है। इसलिए उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा सीआर.एल. आर. (राजस्थान) 1988 पेज एवं ए.आई.आर. 1994 एस. सी. पेज 2063 व डबल्यू.एल.सी. (राज0) 1995(3) पेज 56 के न्यायिक दृष्टांत पेश करके कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना की गई है।

मैनें दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थीगण फर्म मै0 सिंगला सीडस के नाम बीज कारोबार के लिए अनुज्ञापत्र संख्या 1667 जारी शुदा है जो दिनांक 13.03.2017 तक नवीनीकृत है जिसमें कार्यस्थल 80 बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर दर्ज है। दिनांक **13—12—2016** को श्री दीनदयाल वर्मा सहायक निदेशक, कृषि (पौध) द्वारा मैसर्स सिंगला सीडस, श्रीगंगानगर के चक **7 जैड में रेल्वे लाईन के पास स्थित अनाधिकृत गोदाम पर पहुंच कर** जांच की गई थी लेकिन उस दिन कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण उनके द्वारा पीतल की मुद्रा से लाख चपड़ी लगाकर गेट पर सील लगा दी गई थी। दिनांक **14.12.2016 को पुनः** श्री दीनदयाल वर्मा, बीज निरीक्षक द्वारा अपने सहायको के साथ मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी के अनाधिकृत गोदाम स्थान रेल्वे लाईन के पास ग्राम 7 जैड के गोदाम पर पहुंच कर गोदाम मालिक श्री प्रवीण कुमार व अन्य स्वतन्त्र गवाह अनिल कुमार, बनवारीलाल व सहायक अधिकारीगण की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया तो पाया कि गोदाम में प्रमाणित जौ बीज की मूल पैकिंग के **914 खाली बैग, बैगस से हटाये गये 350 टैग, 349 लेबल एवं जौ (जूट की बोरियों में भरा हुआ) वजन 231.78225 क्वि. (551 बोरी जूट)** व प्रमाणित **BARLEY (जौ) बीज किस्म BH-902 की मूल पैकिंग 187 BagsX30Kg each कुल वजन 56.10 क्विन्टल** सीलबन्द टैग व लेबल लगे हुए मौके पर मिले। समस्त साक्ष्यों व परिस्थितियों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने अनाधिकृत गोदाम में प्रमाणित जौ बीज जो कि **National Seeds Corp. Ltd. Beej Bhawan, Pusa Complex New Delhi 110012** द्वारा उत्पादित था व कृषको को विक्रय करने हेतु तैयार किया गया था की मूल पैकिंग टेग व लेबल लगाकर सीलबन्द की गई थी **में से निकालकर जूट की बोरियों में भरकर बाजार में विक्रय किया जा रहा था जिसके लिए विभाग से किसी प्रकार की कोई स्वीकृत्ति नही ली गई है जो कि बीज नियम 1968 की धारा 13(2) की स्पष्ट उल्लंघना है।** चक **7 जैड के उक्त अनाधिकृत गोदाम का इन्द्राज विभाग द्वारा जारी बीज अनुज्ञापत्र में नही है और न ही इस स्थान पर कारोबार करने के लिए कोई अलग से कोई अन्य अनुज्ञापत्र है जो कि बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) की भी उल्लंघना है।** इसलिए मैसर्स सिंगला सीडस के मालिक श्री प्रवीण कुमार से उक्त **अनाधिकृत स्थल ग्राम चक 7 जैड रेल्वे लाईन के पास से जब्त किये गये प्रमाणित BARLEY (जौ) बीज किस्म BH-902 187 BagsX 30Kg each कुल वजन 56.10 क्विन्टल व जौ (जूट की बोरियों में भरा हुआ) वजन 231.78225 क्विन्टल (551 बोरी जूट) को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तभी कार्यवाही की जा सकती है जबकि संबंधित व्यक्ति द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किसी आदेश/ अध्यादेश/ अधिनियम/ नियम आदि के किन्ही प्रावधानो की अवहेलना की गयी हो। अप्रार्थीगण के विरूद्ध संबंधित बीज निरीक्षक द्वारा बीज नियम 1968 के नियम 13(2) का उल्लंघन करने और साथ ही बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) का उल्लंघन करने के कारण उक्त जब्त शुदा बीज को राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।

बीज नियम 1968, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी नियम नही है इसलिए इन नियमों की अवहेलना पर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नही की जा सकती। चूंकि **बीज नियन्त्रण आदेश 1983 जो कि एक आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी आदेश है। इसलिए इस बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के प्रावधानो की अवहेलना पर ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त जौ बीज को राजसात करने की कार्यवाही की जा सकती है।**

इस तथ्य को सिद्ध करने का भार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण पर है कि उनके द्वारा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के प्रावधानो की कोई अवहेलना नही की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

चूंकि अप्रार्थीगण चक 7 जैड रेल्वे लाईन के पास बीजो का अवैद्य व्यापार करते हुए पाये जाने पर उनसे जब्त शुदा उक्त बीज को राजसात करने की प्रार्थना की गयी है। अप्रार्थीगण पर बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1)की अवहेलना का आरोप है कि उनके पास अनाधिकृत गोदाम में बीजो का व्यापार करने के लिए कोई अनुज्ञापत्र नही है। बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) निम्न प्रकार से है:–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 3.वितरक बनने के लिए लाईसेन्स प्राप्त करनाः—
(1) कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर बीज बेचने, निर्यात करने या आयात करने का कारोबार नही करेगा, सिवाय इस आदेशो के अन्तर्गत प्राप्त किये गये लाईसेन्स और उस लाईसेन्स में तय किये गये नियमों और शर्तों के अधीन।
(2) उपधारा (1) में कही गई किसी भी बात के बावजूद, राज्य सरकार यदि चाहे तो, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा, उन इलाकों में और उन शर्तो के अधीन, जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किये गये हों, किसी भी वर्ग के वितरक को उस उपखण्ड के प्रावधानो से मुक्त कर सकती है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अप्रार्थी मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी के पास अनुज्ञापत्र संख्या 1667 बीज व्यवसाय के लिए कृषि विभाग से जारी किया गया है जिसमें कार्य स्थल 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर दर्ज है। **जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण केवल उक्त अनुज्ञापत्र में अंकित कार्य स्थल 80 बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर में बीज विक्रय, आयात, निर्यात, भण्डारण करने के लिए ही अधिकृत है न कि चक 7 जैड के लिए उक्त अनाधिकृत गोदाम में कार्य करने के लिए।** चूंकि अप्रार्थीगण के पास दुकान न0 80बी पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर में कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र है। इस अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या **(iv)** निम्न प्रकार से है और अनुज्ञापत्र में संशोधन के लिए धारा **17** में निम्न प्रावधान है:—

<u>शर्त संख्या (iv)</u>:— इस लाईसेन्स का धारक समय—समय पर लाईसेन्स प्राधिकारी को अपने बीज विक्रय, निर्यात/आयात, तथा उपरोक्त उदेश्यों के लिए बीज का भण्डारण करने के स्थान में होने वाले परिवर्तन की जानकारी देता रहेगा।

<u>धारा 17. लाईसेन्स का संशोधनः—</u> लाईसेन्स जारी करने वाला प्राधिकारी , यदि चाहे तो, किसी वितरक से इस संबंध में लिखित अनुरोध, जिसके साथ दस रूपये की फीस भी सलंग्न होगी, प्राप्त होने पर उस वितरक के लाईसेन्स में कोई संशोधन कर सकता है।

जबकि चक 7 जैड के अनाधिकृत गोदाम का दिनांक **<u>13.12.2016</u>** को निरीक्षण कार्यवाही शुरू की गई और उक्त जौ बीज दिनांक **<u>13.12.2016 व 14.12.2016</u>** को निरीक्षण कार्य पूर्ण कर बीज नियम 1968 के नियम 13(2) व बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) की अवहेलना के कारण जब्त किया गया है और उक्त मौका जब्ती रिपोर्ट दिनांक **<u>14.12.2016 जिस पर प्रवीण कुमार पार्टनर मैसर्स सिंगला सीडस, दो स्वतन्त्र गवाह अनिल कुमार व बनवारी लाल एवं सहायक अधिकारीगण सुरजीत बिश्नोई, अशोक कुमार, अनिलकुमार, सुरजीतकुमार के हस्ताक्षर उपलब्ध है।</u>** इस फर्द मौका जब्ती

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

13.12.2016 व 14.12.2016 के पैरा संख्या 1 में निम्न प्रकार से अंकित किया गया है:–

> मौका पर्चा दि0 14.12.2016
>
> मैं दीनदयाल वर्मा, सहायक निदेशक कृषि (पौ0 सं0) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर अपने सहायक श्री सुरजीत बिश्नोई कृ0अ0 (सामान्य), श्री अशोक कुमार कृ. पर्य. व श्री अनिल कुमार कृ0 पर्य0 के साथ आज दिनांक 14.12.2016 को 10.30 ए.एम. पर ग्राम 7 जैड में रेल्वे लाईन के पास स्थित सिंगला सीडस एजेनसी 80बी पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर के अनाधिकृत गोदाम पर पहुंचा। **उक्त गोदाम में मेरे द्वारा दिनांक 13.12.2016 को जांच की गई थी, लेकिन कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण मेरी पीतल की मुद्रा से लाख चपड़ी लगाकर गेट पर सील लगाई गई थी। मौके पर गोदाम मालिक श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री दीनदयाल जाति अग्रवाल, स्वतन्त्र गवाह श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा व बनवारी लाल पुत्र श्री बीरबल मीणा उपस्थित थे।** उपरोक्त समस्त व्यक्तियो की उपस्थिति में सील हटाकर ताला खोला गया व गोदाम में प्रवेश किया गया। गोदाम परिसर में स्थित कमरों जिन पर मेरे द्वारा सील लगाई गई थी, सील को हटाकर व ताले खोले गये।

उक्त चक 7 जैड के अनाधिकृत गोदाम से प्रमाणित पैकिंग सहित **BARLEY (जौ) बीज किस्म BH-902 187 BagsX30Kg each कुल वजन 56.10 क्विन्टल व जौ (जूट की बोरियों में भरा हुआ) वजन 231.78225 क्विन्टल (551 बोरी जूट)** जब्त किया गया है जिसमें से उपरोक्त पेकिंग शुदा 56.10 क्विन्टल में से सैम्पल लिया जाकर सीड टेस्टिंग लेबोरेट्री, दुर्गापुरा, जयपुर को भेजा गया, जो उनकी रिपोर्ट संख्या 5356–58 दिनांक 10.02.2017 के अनुसार **जौ बीज अमानक पाया गया है और शेष बीज जो पेंकिग सील तोडकर विकय के लिए जूट की बोरियों में भरकर रखा गया है जबकि बिना पेंकिंग के विकय नही किया जा सकता। इसलिए इसके सैम्पल की आवश्यकता नही थी और सैम्पल लिया भी नही गया। खुले बीज भी अमानक की श्रेणी में ही आते है।**

अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य बीज नियम 1968 के प्रावधानो की अवहेलना है। इस अवहेलना के लिए धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही नही की जा सकती। जबकि बीज अधिनियम 1966 व 1968 की अवहेलना पर **सक्षम अपराधिक न्यायालय द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है।** किन्तु **बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की अवहेलना पर ही इस न्यायालय द्वारा धारा 6ए आवश्यक अधिनियम के तहत जब्त शुदा बीजों के संबंध में राजसात की कार्यवाही की जा सकती है।**

अप्रार्थीगण ने अपने लिखित जबाब के पैरा 2 में चक 7 जैड रेल्वे लाईन के पास श्रीगंगानगर के उक्त गोदाम को अपने पूर्व अनुज्ञापत्र 1667 जो कि दुकान न0 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर के नाम से है में उक्त चक 7 जैड के गोदाम को दर्ज करने के लिए

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आवेदन करना बताया है किन्तु इस पैरा में **प्रार्थना पत्र व निर्धारित शुल्क जमा कराने की कोई तारीख अंकित नही की गई है** और न ही उक्त प्रार्थना व शुल्क जमा की रसीद पेश की गई है। किन्तु विभाग की ओर से अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक **14.12.2016** का प्रा0 पत्र व उसके साथ **शुल्क राशि 20 रूपये का चालान सं0 0014317424 दिनांक 15.12.2016** प्रस्तुत किये है जो निरीक्षण शुरू होने की दिनांक **13.12.2016 के पश्चात आफटर थोट सोच समझकर पेश किये गये है। जिसका अप्रार्थीगण कोई लाभ प्राप्त नही कर सकते है।** क्यों कि निरीक्षण प्रारम्भ होने की दिनांक 13.12.2016 से पूर्व अपने अनुज्ञापत्र में उक्त गोदाम की प्रविष्टि करवानी आवश्यक थी जो नही करवाई गई है जो उनके द्वारा अवैद्य रूप से अमानक बीजो के व्यवसाय करने की दृष्टि से जानबूझकर दर्ज नही करवाई गई है। **इस प्रकार अप्रार्थीगण ने उक्त स्थल पर अमानक बीजों का अवैद्य व्यवसाय कर बीज नियम 1968 के नियम 13(2) की अवहेलना की है और साथ ही उक्त गोदाम को अनुज्ञापत्र में बिना दर्ज करवाये अमानक बीजों का व्यवसाय कर बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) व अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या (iv) की अवहेलना की है।**

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त सीआर. एल. आर. (राजस्थान) 1988 पेज एवं ए.आई.आर. 1994 एस.सी. पेज 2063 व डबल्यू.एल.सी. (राज0) 1995(3) पेज 56 का मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण ने बीजो के अवैद्य कारोबार के लिए चक 7 जैड, रेल्वे लाईन के पास, श्रीगंगानगर के अनाधिकृत गोदाम में भण्डारण किये गये जब्ती के समय पाये गये प्रमाणित व सील BARLEY (जौ) बीज किस्म BH-902 187 BagsX30Kg each कुल वजन 56.10 क्विन्टल <u>जो बाद में सीड टेस्टिंग लेबोरेट्री दुर्गापुरा, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या 5356—58 दिनांक के अनुसार अमानक पाया गया है</u> एवं जौ (जो कि जूट की बोरियों में टैग हटाकर भरा हुआ था) वजन 231.78225 क्विन्टल (551 बोरी जूट) पाये गये है जो भी अमानक बीज की श्रेणी में ही आते है। इसलिए मेरे विनम्र निवेदन में अप्रार्थीगण उक्त न्यायिक दृष्टान्तो का कोई लाभ प्राप्त करने के हकदार नही है। क्योंकि अप्रार्थीगण अमानक बीजो के अवैद्य कारोबार में लिप्त है जो कि बीज नियम 1968 के प्रावधानो की अवहेलना है और चक 7जैड़, रेल्वे लाईन के पास, श्रीगंगानगर के उक्त अवैद्य स्थल के लिए निरीक्षण दिनांक 13.12.2016 व 14.12.2016 तक कोई अनुज्ञापत्र नही है जो कि बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) व अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या (iv) की अवहेलना है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्दकुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:—

<u>13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099,</u>

This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law . [See also- Vice Chancellor , university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जैसा ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि अप्रार्थीगण के द्वारा फर्द जब्ती कार्यवाही निरीक्षण दिनांक 13.12.2016 व 14.12.2016 तक उक्त अनाधिकृत स्थल चक 7 जैड रेलवे स्टेशन के पास, श्रीगंगानगर पर बीजों का व्यवसाय करने के लिए बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) के तहत कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं है और न ही उक्त अनाधिकृत स्थल फर्म के पूर्व अनुज्ञा पत्र संख्या 1667 जो की दुकान संख्या 80 बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर स्थित में बीज व्यवसाय करने से सम्बन्धित है, में भी अंकित नहीं है और न ही इसे दिनांक 13.12.2016 तक इस अंकित करवाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्द कुमार वगैरा में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए कि अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में प्रभावी सम्बन्धित बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) व अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या **(iv)** की अवहेलना की है और अप्रार्थीगण से जब्त शुदा प्रमाणित व सील **BARLEY** (जौ) बीज किस्म **BH-902 187 BagsX30Kg each** कुल वजन 56.10 क्विन्टल जो बाद में सीड टेस्टिंग लेबोरेट्री दुर्गापुरा, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या 5356–58 दिनांक के अनुसार अमानक पाया गया है एवं जौ (जो कि जूट की बोरिंयों में भरा टैग हटाकर भरा हुआ था) वजन 231.78225 क्विन्टल (551 बोरी जूट) भी अमानक की श्रेणी के पाए गए है। इसलिए बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के उक्त वर्णित प्रावधानों की उल्लंघना के कारण धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उक्त जब्तशुदा बीज राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दिनांक **13.12.2016** व **14.12.2016** को चक 7 जैड रेल्वे लाईन के पास, श्रीगंगानगर के अनाधिकृत गोदाम से अप्रार्थीगण से जब्त किये गये प्रमाणित व सील **BARLEY** (जौ) बीज किस्म **BH-902 187 BagsX30Kg each** कुल वजन 56.10 क्विन्टल जो बाद में जांच से अमानक पाया गया व जौ (जूट की बोरिंयों में भरा हुआ) वजन 231.78225 क्विन्टल (551 बोरी जूट) को बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के प्रावधानों की उल्लंघना के कारण धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राजसात किया जाता है। पूर्व में इस न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 16.12.2016 के तहत उक्त जब्त शुदा बीजों का अन्तरिम निस्तारण विभाग द्वारा किया जा चुका है। इसलिए उक्त बीज की विक्रय की समस्त राशि 2,51,895 रूपये को स्थाई रूप से राज्यहित में राजकोष में जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति सहायक निदेशक कृषि (पौध संरक्षण) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21–02–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर